चीनी व गेहूं वायदा पर बढ़ेगा मार्जिन

एजेंसियां
नई दिल्ली, 3 अगस्त

कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीईएक्स ने चीनी व गेहूं वायदा पर मार्जिन 10 फीसदी करने का फैसला किया है और यह अगले हफ्ते यानी 6 अगस्त से लागू होगा। जिंस वायदा कारोबार में शुरुआती मार्जिन सौदे की राशि का एक न्यूनतम हिस्सा होता है, जिसे एक्सचेंज में जमा करवाना होता है।

जिंस बाजार नियामक एमएफसी के निर्देशों के चलते एमसीएक्स तथा एनसीडीईएक्स ने इस बारे में अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं। इनके अनुसार चीनी व गेहूं के वायदा पर जिंस के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शुरुआती मार्जिन लगेगा। फिलहाल एनसीडीईएक्स गेहूं पर 4.78 फीसदी तथा चीनी पर 4.41 फीसदी शुरुआती मार्जिन लगाता है। एमसीएक्स में चीनी पर मार्जिन 8.9 फीसदी है जबकि गेहूं पर 5 फीसदी है। एक्सचेंज ने सट्टेबाजी को सीमित रखने और कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए ऐसा किया है ताकि चीनी व गेहूं के वायदा भाव में असामान्य घट-बढ़ की स्थिति पैदा न हो। कमोडिटी ब्रोकरेज फर्म जेआरजी वेल्थ मैनेजमेंट विश्लेषक सी रेड्डी ने कहा, 20 जून के बाद गेहूं की कीमत 30 फीसदी बढ़ी है और एनसीडीईएक्स में यह मजबूत हो रही है। चीनी के वायदा भाव में 27 फीसदी की तेजी आई है।

एनसीडीईएक्स पर शुक्रवार को सितंबर में डिलिवरी वाला गेहूं वायदा 1445 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा था जबकि चीनी वायदा 3645 रुपये प्रति क्विंटल था। चीनी की कीमतें उस खबर के आधार पर बढ़ रही हैं जिसमें कहा गया है कि साल 2012-13 के विपणन वर्ष में चीनी का उत्पादन घटने की संभावना है।

Business Standard (Hindi)
4/8/12